

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी0एम0पी0 संख्या-299/2019

नारायण साहू एवं अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

लिंडा बिरसा उरांव एवं अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

याचिकाकर्ता के लिए : नहीं

राज्य के लिए : नहीं

आदेश संख्या 07 दिनांक 16.12.2021

बार-बार बुलाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई नहीं आया।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका को प्रचालित नहीं करने के कारण खारिज किया

गया है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)